23/5/25

बाद के प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि -

- प्रतिवादी मोहनलाल को स्वयं इकरारनामा भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था। तथाकथित अपंजीकृत, अप्रचलित मुद्रांकित इकरारनामा बेचान से क्रेता को कोई हक-हकूक प्राप्त नहीं होते।
- महावीर सुमन वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं है, अत: उसे उपरोक्त भूमि के आधे हिस्से को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।
- प्रार्थी उपरोक्त भूमि का न तो खातेदार है और न ही सहखातेदार है। प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

बहस बाबुलाप फरीकैन सुनी गई। विद्वान अभिभाषक आवेदक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराकर अनुरोध किया गया कि आवेदक आवश्यक पक्षकार है।

विद्वान अभिभाषक वादीगण का कथन है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
//	(*) पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना 01 R10 एवं धारा 151 CPC प्रस्तुत हुई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। (*) प्रार्थी हरीशचन्द्र नागर द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 151 CPC अन्तर्गत 01 R10 एवं प्रस्तुत किया गया है कि- इस बाबत प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात • वादग्रस्त भूमि के दिनांक 5/2/13 श्रीमोहनलाल द्वारा दिनांक उपरोक्त कृषिभूमि को रजिस्टर्ड इकरारनामा खसरा नं. 10 रकबा 1.32 Hect. स्थित में मोहनलाल का आधा हिस्सा निहित है को महावीर सुमन पुत्र स्व. मांगीलाल को विक्रय कर दी थी। - उक्त विक्रय करने के पश्चात वादग्रस्त कृषिभूमि के क्रेता श्री महावीर सुमन द्वारा दिनांक 6/12/23 को रजिस्टर्ड इकरारनामा वादग्रस्त कृषिभूमि के आधे हिस्से को प्रार्थी हरीशचन्द्र नागर को विक्रय कर दिया। - प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का मूल्यावान क्रेता है, इस कारण वादी को हालगत वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर उत्पन्न हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा RRT-2011(1253) में स्पष्ट किया गया है कि यह एक अपूर्ण दस्तावेज है तथा इसके आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। विद्वान अभिभाषक वादीगण का यह भी कथन रहा कि काश्तकारी अधिनियम के तहत भी रु 100 से अधिक का बेचान पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदक सिविल न्यायालय में स्पेसिफिक परफोरमेंस का दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ मेरी इच्छा के विरुद्ध पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। {AIR 1980 RAJ (21)}.

(6) हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आलोचनात्मक अध्ययन किया तथा बहस वकुलाय फरीकैन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

(7) आवेदक प्रार्थी द्वारा भूमि जरिये इकरारनामा महावीर सुमन से क्रय की गई है। महावीर सुमन हस्तगत आराजी में खातेदार नहीं है। अतः आवेदक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत

3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	इकरारनामे से उसे वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना। परिणामत: प्रार्थी हरीशचन्द नागर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O1 R10 एवं धारा 151 CPC अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 30/4/[illegible] को पेश हो। [signature]